फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

गिरधारी बनाम गंगा देवी वगै0 GMS-2024/253

मुकदमा नम्बर :– 98/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	04.12.2024	प्रार्थी की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम– 1955 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अतंरिम बहस हेतु निवेदन किया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई अतंरिम बहस को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राज0काश्त0 अधिनियम– 1955 का अवलोंकन किया गया, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी का शपथ पत्र का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने एंव अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमी खसरा नम्बर 754, 755, 969, 971, 972, 973 कुल किता 6 का कुल रकबा 10.0900 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **उक्त अन्तरिम टी0आई0 आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एंव नवीन रास्ता चाहने सम्बन्धी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नहीं ह ोगी।** चूंकी एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थी को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा। प्रार्थी वकील को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व रजि0 एडी0 के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश कि तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। उक्त आदेश से यदि आप्रार्थीगण को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 02/01/25 को 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रर्थाना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस मय आदेश जारी कर पत्रवाली वास्ते देखने तामील दिनांक 02/01/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

20/12/24 वकील वादी ने प्रा. पत्र पत्रावली तलबी का पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र 152 cpc का पेश कर निवेदन किया कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04/12/2024 में सहवन से विवादग्रस्त आराजियात के ग्राम आष्टीकलां पटवार हल्का आष्टीकलां के स्थान पर ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा अंकित कर दिया गया जिसे दुरुस्त किया जावे। प्रा. पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र 152 cpc का स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04/12/24 में ग्राम किशनपुरा व पटवार हल्का किशनपुरा के स्थान पर लाल स्याही से ग्राम आष्टीकलां व पटवार हल्का आष्टीकलां दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं शेष आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली बाद तलबी नियत दिनांक 02/01/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

2/1/25 वकीलों द्वारा [illegible] कण्डोलेंस/कार्य स्थगित [illegible] पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 31/1/25 को पेश हो।

10/01/25 पत्रावली ने प्रा. पत्र पत्रावली तलबी का पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। पत्रावली में प्रा. पत्र विड्रो का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण को विड्रो करने की अनुमति प्रदान करें। प्रा. पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र विड्रो की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

गोपाल
[illegible] (उ.नि.) प्रतापसिंह
10/1/25

Presented by Pooja
Adv. Kasavi
समक्ष Reader
Repeat & work [illegible]